(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3960-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-1-2012 - पारित द्वारा - तहसीलदार मझगवां जिला सतना - प्रकरण कमांक 4 अ -12/ 2012-13

विजयराघव पुत्र कामताप्रसाद
फोत वारिस
1- श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व.विजयराघव
2- अशोककुमार 3- अनिलकुमार 4- अरबिन्दकुमार
5- अजयकुमार 6- मनोजकुमार पुत्रगण विजयराघव
7- आशादेवी 9- अनिता देवी पुत्रीयां विजयराघव
ग्राम महराजनगर जमाल तहसील मझगवां जिला सतना ----आवेदकगण

विरूद्ध

1-सुरेन्द्रकुमार पुत्र संतराम पाण्डेय ग्राम जमाल खोही तहसील मझगवां जिला सतना
2- मध्य प्रदेश शासन ----अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मनोज तिवारी)
(अना.क. 1 के अभिभाषक श्री आर.एन.साहू)

आ दे श

(आज दिनांक 15-09-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार मझगवा जिला सतना के प्रकरण कमांक 4 अ -12/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-1-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार मझगवां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 107/1 ख रकबा 1.52 के सीमांकन का मांग की, जिसका सीमांकन पटवारी व्दारा दिनांक 8-1-12 को किया एंव सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 9-1-12 पंचनामा, फील्ड बुक इत्यादि सहित प्रस्तुत किया। सीमांकन पर आपत्ति न आने के कारण तहसीलदार मझगवां ने प्रकरण कमांक 4 अ -12/ 2012-13 में **आदेश दिनांक** 16-1-12 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमों अंकित आधारों के कम में अनावेदक के अभिभाषक एंव आवेदक की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। तहसीलदार मझगवां के प्रकरण कमांक 4 अ -12/ 2012-13 **का अवलोकन किया गया।**

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि ग्राम महराजनगर की भूमि सर्वे नंबर 107/1 ख के सीमांकन वावत् अनावेदक ने आवेदन दिया किन्तु सीमांकन की सूचना आवेदक के मेढ़िया कास्तकार होते हुये भी नहीं दी। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का मकान बना है तारवाड़ी लगी है एंव फलदार वृक्ष लगे हैं। समस्त कागजी कार्यवाही की गई है इसलिये सीमांकन निरस्त किया जाय।

अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि सीमांकन के दो आवेदन थे एक सुरेन्द्र कुमार का दूसरा आवेदन वीरेन्द्र कुमार का। सीमांकन सही हुआ है बीरेन्द्र की भूमि सर्वे कमांक 88 व 181 के सीमांकन पर आवेदक के हस्ताक्षर है दोनों भूमियां समीप की है आवेदक को सीमांकन की जानकारी यथासमय रही है। उन्होंने तहसीलदार के सीमांकन आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5/ लेखी बहस के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मझगवां ने आदेश दिनांक 16.1.12 अंकित किया है कि-

" प्रकरण पेश । पट.ह. **महराजनगर** की आराजी नं 107/1 रकबा 1.52 का सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त। कोई आपत्ति नहीं। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि विचाराधीन सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है जिसमें आवेदक का मकान बना है तारवाड़ी लगी है एंव फलदार वृक्ष लगे हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानते हैं तव वह पटवारी से वरिष्ठ सहायक अधीक्षक/अधीक्षक भू अभिलेख से अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्तत्रंत हैं जिसके तहसीलदार मझगवां के प्रकरण कमांक **4 अ -12/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-1-12** में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर